293 5 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए अंशदान के संबंध में

जम्मू और कश्मीर राज्य में विनाशकारी बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए सीपीएसई को इसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के लिए अंशदान करने की जरूरत है। तथापि, पीएमओ ने सूचित किया है कि (प्रति संलग्न) पीएमएनआरएफ केवल वैयक्तिक और संस्थानों द्वारा किए गए स्वैच्छिक अंशदान को ही स्वीकार करता है। बजटीय संसाधन, लाभ अथवा पीएसयू के तुलन पत्रों से अंशदान को स्वीकार नहीं करता है। पीएसयू अपने विवेक से निधि एकत्र कर सकते हैं और अपने कर्मचारियों का स्वैच्छिक अंशदान पीएमएनआरएफ में जमा कर सकते हैं।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इसे अपने नियंत्रणाधीन सीपीएसयू के मुख्य कार्यपालकों के ध्यान में लाएं।

यह सचिव, डीपीई के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[डीपीई का.ज्ञा.सं. डीपीई 15 (9)/2013–डीपीई (जीएम), दिनांक 19 सितम्बर, 2014]

*****